

गणेश व अन्य बनाम अशोकचन्द व अन्य

प्र0सं0-: 31 / 2022(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-14 / 02 / 2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 31 / 2022(रे0वाद)

दायर दिनांक - 22 / 03 / 2022

निर्णय दिनांक- 14 / 02 / 2025

अनवान

1. गणेश पिता धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. सुरेश पिता धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. राजेश पिता धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
4. मोहनी पत्नी धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. अशोक चन्द पिता डाऊ लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गेहरीबाई पत्नी डाऊ लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. कविता पुत्री डाऊ लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सविता पुत्री डाऊ लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. पुजा पुत्री भगवती लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. सपना पुत्री भगवती लाल जाति कलाल आयु नाबालिग निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये संरक्षक बडे पिता अशोकचन्द निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. प्रमिला पुत्री भगवती लाल जाति कलाल आयु नाबालिग निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये संरक्षक बडे पिता अशोक चन्द निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द


प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - प्रतिवादी संख्या 08 पैरोकार सरकार उपस्थित।




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 54 खसरा न. 1365 रकबा 0.0900 हैक्टेयर , खसरा न. 1366 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु.आ.चा. खसरा नं. 1367 रकबा 2.2700 हैक्टेयर , खसरा नं. 1368 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1369 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 848 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 849 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 850 रकबा 0.9900 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 4.0800 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादीगण अपने हिस्से कि भूमी पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। शेष आराजीयात में प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं माफिक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण कास्त कर रहे है। जिस पर तहसीलदार देवगढ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:—

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	गणेश 1/4, सुरेश 1/4, राजेश 1/4 पिता धना, मोहनी पत्नी धना 1/4 जाति कलाल सा० देह खातेदार	1367 1368 1369 847 848 849 850	0.9350 0.1700 0.1000 0.1400 0.1900 0.1200 0.3800	चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2	21.50 3.91 2.30 3.22 4.37 2.76 8.74
	योग	किता-07	2.0350	—	46.80
2.	अशोक चन्द 1/5, सवीता 1/5, कविता 1/5 पिता डाउलाल, गेहरी बाई पत्नी डाऊलाल 1/5 पुजा 1/15 प्रमिला 1/15 सपना 1/15 पिता भगवतीलाल जाति कलाल सा० देह	1365 1367/1 1367/2 850/1	0.0900 1.3250 0.0100 0.6100	चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2	2.07 30.48 0.23 14.03



गणेश व अन्य बनाम अशोकचन्द व अन्य

प्र0सं0-: 31 / 2022 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-14 / 02 / 2025

खातेदार				
	योग	किता-04	2.0350	46.81
3 अशोक चन्द 1/10 सवीता 1/10 कवीता 1/10 पिता डाऊलाल, गेहरी बाई पत्नी डाऊलाल 1/10, पुजा 1/30 प्रमीला 1/30 सपना 1/30 पिता भगवती लाल गणेश 1/8 सुरेश 1/8 राजेश 1/8 पिता धना मोहनी पत्नी धना 1/8 जाति कलाल सा0 देह खातेदार	1366	0.0100	गै.मु.आ. चा.	
	योग	किता-01	0.0100	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
देवगढ़ जिला राजसमन्द

गणेश व अन्य बनाम अशोकचन्द व अन्य

प्र0सं0-: 31 / 2022(रोवाद)

निर्णय दिनांक:-14 / 02 / 2025

डिक्री व मुकदमे इत्तदाई

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :- 31 / 2022

अनवान

1. गणेश पिता धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. सुरेश पिता धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. राजेश पिता धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
4. मोहनी पत्नी धना लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. अशोक चन्द पिता डारु लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गेहरीबाई पत्नी डारु लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. कविता पुत्री डारु लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सविता पुत्री डारु लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. पुजा पुत्री भगवती लाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. सपना पुत्री भगवती लाल जाति कलाल आयु नाबालिग निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये संरक्षक बडे पिता अशोकचन्द निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. प्रमिला पुत्री भगवती लाल जाति कलाल आयु नाबालिग निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये संरक्षक बडे पिता अशोक चन्द निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द


प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - प्रतिवादी संख्या 08 पैरोकार सरकार उपस्थित।




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

गणेश व अन्य बनाम अशोकचन्द व अन्य

प्र0सं0-: 31/2022(रोवाद)

निर्णय दिनांक:-14/02/2025

में इस आशय दिनांक 14/02/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 54 खसरा न. 1365 रकबा 0.0900 हैक्टेयर , खसरा न. 1366 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु.आ.चा. खसरा नं. 1367 रकबा 2.2700 हैक्टेयर , खसरा नं. 1368 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1369 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 848 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 849 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 850 रकबा 0.9900 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 4.0800 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादीगण अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। शेष आराजीयात में प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं माफिक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण कास्त कर रहे है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	गणेश 1/4, सुरेश 1/4, राजेश 1/4 पिता धना, मोहनी पत्नी धना 1/4 जाति कलाल सा0 देह खातेदार	1367	0.9350	चाही 2	21.50
		1368	0.1700	चाही 2	3.91
		1369	0.1000	चाही 2	2.30
		847	0.1400	चाही 2	3.22
		848	0.1900	चाही 2	4.37
		849	0.1200	चाही 2	2.76
		850	0.3800	चाही 2	8.74
		योग	किता-07	2.0350	-
2.	अशोक चन्द 1/5, सवीता 1/5, कविता 1/5 पिता डाउलाल, गेहरी बाई पत्नी डाऊलाल 1/5 पुजा 1/15 प्रमिला 1/15 सपना 1/15 पिता भगवतीलाल जाति कलाल सा0 देह खातेदार	1365	0.0900	चाही 2	2.07
		1367/1	1.3250	चाही 2	30.48
		1367/2	0.0100	चाही 2	0.23
		850/1	0.6100	चाही 2	14.03
		योग	किता-04	2.0350	




गणेश व अन्य बनाम अशोकचन्द व अन्य
प्र0सं0-: 31/2022(रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-14/02/2025

3	अशोक चन्द 1/10 सवीता 1/10 कवीता 1/10 पिता डाऊलाल, गेहरी बाई पत्नी डाऊलाल 1/10, पुजा 1/30 प्रमीला 1/30 सपना 1/30 पिता भगवती लाल गणेश 1/8 सुरेश 1/8 राजेश 1/8 पिता धना मोहनी पत्नी धना 1/8 जाति कलाल सा0 देह खातेदार	1366	0.0100	गै.मु.आ. चा.	
	योग	किता-01	0.0100		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास
सुनाया गया।




(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक सहायक कलेक्टर
देवास, जिला राजसमन्द